"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर,मंगलवार, दिनांक 9 जनवरी 2018 — पौष 19, शक 1939

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2018

संशोधित आदेश

क्रमांक-एफ -3-62/2008/गृह-दो. — विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 9-8-2017 द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-38 की उपधारा (4) के अध्यधीन पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में श्री भारत सिंह (सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये सदस्य नियुक्त किया गया है.

2. उक्त आदेश की कंडिका-2 में अंकित "अधिनियम की धारा-38 की उपधारा (4)" के स्थान पर "अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4)" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.